

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4583/

जबलपुर, दिनांक 6 / 6 / 2024

श्रीमती दीपा उपाध्याय, Asstt. Editor (I.L.R.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 07.06.2024 से 21.06.24 तक 15 दिन के अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं Hongkong (SAR) विदेश यात्रा हेतु मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि यात्रा पूरी करने के बाद खाते के विवरण के साथ व्यय राशि और स्रोतों की जानकारी प्रस्तुत करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदन समय पर प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/4584/

जबलपुर, दिनांक 6 / 6 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती दीपा उपाध्याय, Asstt. Editor (I.L.R.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(दीपक बंसल) 06.06.24  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
M